



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या: 1302/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-3(16)-मा०सं०(04)/2016 दिनांक 31 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय - मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु नगरों की श्रेणी में संशोधन।

उ०प्र० शासन द्वारा जारी आदेश सं० 1/जी-1-25/दस- 2014-226/2008 दिनांक 03.02.2014 की व्यवस्था को अंगीकृत करते हुए उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 911-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2014 दिनांक 29.09.2014 की अनुरूपता में निगम के मकान किराया भत्ता सम्बन्धी पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 322/मा०सं०(04)/उ०नि०लि० दिनांक 28.02.2009 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1301/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017 दिनांक 31.08.2017 में अंकित नगरों/क्षेत्रों के वर्गीकरण सम्बन्धी तालिका के अनुक्रम में, मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु, निम्नांकित नगर/क्षेत्र/जनपद मुख्यालय, जो सम्प्रति नीचे स्तम्भ-1 में दर्शित तालिका में वर्गीकृत है, को स्तम्भ-2 की तालिका के अनुसार वर्गीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1	2
नगर/क्षेत्र	नगर/क्षेत्र
श्रेणी-सी - झाँसी	श्रेणी-बी-2 - झाँसी
श्रेणी -अवर्गीकृत - चन्दौली, कानपुर देहात, बागपत, कौशाम्बी, महाराजगंज, कुशीनगर, अमेठी, सोनभद्र, संतकबीरनगर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर एवं भदोही जनपदों के जनपद मुख्यालय	श्रेणी- सी - चन्दौली, कानपुर देहात, बागपत, कौशाम्बी, महाराजगंज, कुशीनगर, अमेठी, सोनभद्र, संतकबीरनगर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर एवं भदोही जनपदों के जनपद मुख्यालय

2. उपरोक्त संशोधित व्यवस्था दिनांक 29.09.2014 से प्रभावी होगी।
3. अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

शेष पृष्ठ-2 पर.....

26 B. Rev. 1/1/2016 (16) HR-04-2016-HRA-2016


21/8/17

संख्या : 1302(1)/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
5. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/जानपद-नवपरियोजनायें/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 172वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई के एजेण्डा आइटम संख्या-172.2.24 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/06/04/05)/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/ जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. उप सचिव (मा0सं0-01/06/03), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0-01/06/02/04/रिफार्म) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सक्सेना)

उप महाप्रबन्धक (मा0सं0-04)